न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.268 / प्रा.पत्र / 2018 (GCMS No. 2018 / 00653)	15.10.2018	16.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

मथुरालाल आ. बिरदीलाल जाति धाकड़,
निवासी ग्राम माटून्दा,
तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री रामकुमार दाधीच, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मथुरालाल आ. बिरदीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम माटून्दा, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 3128/559 रकबा 10 बिस्वा वाकेग्राम माटून्दा, आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1999 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 15.09.2020 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 04.06.1999 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि बाबत समस्त पालना कर दिये जाने से इन्तकाल संख्या 2063 दिनांक 10.01.2008 से उक्त भूमि खसरा संख्या 559 रकबा 10 बिस्वा ग्राम माटून्दा पर अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। खसरा संख्या 556 को संशोधन आदेश जारी कर भूमि खसरा संख्या 559 को वास्तविक कब्जे के अनुसार आवंटी का आवंटन बहाल रखा गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है तथा उक्त भूमि के आवंटन की सम्पूर्ण राशि यथासमय राजकोष में जमा करवा दी गई है। आवंटी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त है। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर विलम्ब से पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी मथरालाल आ. बरदीलाल जाति धाकड़ निवासी माटून्दा को मिसल संख्या 72/1999 पर दिनांक 04.04.1999 को भूमि खसरा संख्या 559 रकबा 10 बिस्वा वाकेग्राम माटून्दा का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य पर जमा करवाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि पर चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमान्तर्गत नहीं है, जो अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बू

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मूल आवंटन पत्रावली लौटाकर निर्देश दिये जाते है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट, आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा होने या राशि बकाया होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट सहित प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत तैयार कर भिजवाये जाने पर ही प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी